

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President

Mob. No.- 9334118192



Anil Kumar
General Secretary

Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No

Date

सेवा में,
माननीय मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना

विषय:- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 40 अनुमण्डल पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठन करने का आदेश निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा RIPS के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में नये पात्रों को जोड़ने एवं चिन्हित किए गए अपात्र लाभुकों का नाम विलोपित करने के कार्य को ससमय पूर्ण नहीं करने के आरोप में केवल बिहार प्रशासनिक सेवा के 40 अनुमण्डल पदाधिकारियों पर प्रपत्र "क" गठित करने हेतु सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के पत्रांक 3301 दिनांक 19.07.2019 एवं स्मार पत्रांक 3885 दिनांक-21.08.2019 द्वारा संबंधित जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

2) अनुमण्डल पदाधिकारी स्थानीय प्रशासन के रीढ़ होते हैं। उन्हें आपूर्ति के अतिरिक्त विधि व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के कार्य की जिम्मेवारी भी होती है। अगर इतनी बड़ी संख्या में वैसे कार्य के लिए, जिसमें आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य पदाधिकारी भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार होते हैं, केवल बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित करने का आदेश देना, न तो न्यायोचित है और न ही तर्कसंगत है।

3) बिहार प्रशासनिक सेवा संघ इस संबंध में भवदीय का ध्यान निम्न बिन्दुओं की तरफ आकृष्ट कराना चाहता है;

(क) लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के मद्देन सभी अनुमण्डल पदाधिकारी मई, 2019 तक पूर्ण रूप से निर्वाचन प्रक्रिया में व्यस्त रहे। तत्पश्चात् युद्धस्तर पर कार्रवाई करते हुए लगभग सभी अनुमण्डलों में RTPS के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आलोक में नये पात्रों का नाम जोड़ने एवं अपात्र लाभुकों का नाम विलोपित करने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

(ख) RTPS पर प्राप्त आवेदनों के आलोक में विभाग द्वारा यह आरोप लगाया गया कि प्राप्त आवेदनों एवं कार्य निर्गमन में लम्बा अन्तराल है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर कार्ड निर्माण हेतु आवेदन लिए जाने के पश्चात् उसकी प्रविष्टि के साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आवेदन का जांच करना था तथा जो आवेदन अपात्र आवेदक द्वारा दिए गए थे, उनके आवेदन को सेवा अस्वीकृत (Service denial) करना था तथा जिनके आवेदन योग्य/पात्र श्रेणी के थे, उनकी सेवा स्वीकृत कर SDO को Card निर्माण हेतु भेजना था।

(ग) लगभग सभी जिलों/अनुमण्डलों में बगैर किसी जांच के प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर सभी आवेदनों की सेवा स्वीकृत कर दी गई। जांच के पश्चात् जैसे आवेदन जिनका कार्ड या तो पूर्व से बना था अथवा जैसे आवेदन, जो अपात्र श्रेणी के थे, उनका कार्ड नहीं बनाया गया। यही अन्तराल सेवा स्वीकृत एवं कार्ड निर्गमन के बीच बनी हुई थी, जिसके लिए अनुमण्डल पदाधिकारी दोषी नहीं है।

(घ) वर्तमान में सभी जैसे आवेदनों, जिनका कार्ड या तो पूर्व से बना था अथवा जो अपात्र श्रेणी के थे, उनके आवेदनों को RTPS संख्या के साथ चिन्हित कर जिला पदाधिकारी के माध्यम से सेवा अस्वीकृति हेतु विभाग को भेजा जा चुका है।

(ङ) विदित हो कि एक ऑपरेटर एक दिन में अधिकांशतः 20 से 25 कार्ड ही निर्गत कर सकता है। परन्तु प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आवेदन RTPS पर प्राप्त होते हैं, जिसके कारण आवेदनों की संख्या लंबित रही।

4) आरोप पत्र गठन हेतु जिन 40 अनुमण्डल पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया है, उसमें भी भेदभाव बरता गया है। जैसे अनुमण्डल जिनमें RTPS आवेदन एवं कार्ड निर्गमन में अधिक अंतराल था तथा चिन्हित अपात्र लाभुकों की संख्या भी अधिक थी, परन्तु वहाँ भा.प्र.से. के पदाधिकारी थे, उन अनुमण्डलों को विभागीय कार्यवाही के लिए चिन्हित नहीं किया गया। उदाहरणस्वरूप दानापुर, गोपालगंज सदर, सिवान सदर, फारबिसगंज, झंझारपुर, सीतामढ़ी सदर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी इत्यादि के कार्यालयों से इस तथ्य की जांच कराई जा सकती है।

5) आपूर्ति संबंधित कार्यों के लिए जिलास्तर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल स्तर पर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पदस्थापित होते हैं, जिनका मुख्य कार्यों मात्र आपूर्ति से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना है, जबकि अनुमण्डल पदाधिकारी को आपूर्ति के अतिरिक्त विधि व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन, न्यायालय कार्य सहित अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है। इसके बावजूद इस कार्य के लिए सिर्फ अनुमण्डल पदाधिकारी को दोषी मानते हुए आरोप-पत्र गठित करने का पत्र विभाग द्वारा निर्गत कर दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

6) अनुमण्डल स्तर पर अधिकांश अनुमण्डलों में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अनुमण्डल में आपूर्ति विभाग के 2-3 प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ही पदस्थापित हैं। अधिकांश प्रखण्डों में या तो अंचलाधिकारी अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में हैं, जो स्वयं कार्यबोझ से दबे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपूर्ति संबंधित कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा निर्धारित कालावधि में कार्यों का निष्पादन नहीं होता है।

7) कार्ड का रद्दीकरण भी एक जटिल प्रक्रिया है। चिन्हित अपात्र लाभुकों को नोटिस निर्गत किया जाता है। तत्पश्चात् नोटिस का तामिला कराया जाता है। यदि निर्धारित तिथि तक कोई दावा नहीं आता, तब राशन कार्ड रद्दीकरण का आदेश पारित किया जाता है। यदि किसी लाभुक द्वारा दावा/आपत्ति किया जाता है, तब पुनः उसका स्थलीय जाँच कराया जाता है। इन सभी नियमित प्रक्रियाओं के निष्पादन में पदाधिकारियों/कर्मियों/संसाधनों की कमी से समय एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा लक्ष्य को निर्धारित अवधि में प्राप्त करने में कठिनाई स्वाभाविक है।

8) सरकार का ध्यान एक अत्यंत ही गंभीर एवं चिंतनीय तथ्य की तरफ आकृष्ट कराना संघ का नैतिक दायित्व है कि विगत एक-दो साल के अंदर क्षेत्रीय कार्यालयों में बिहार प्रशासनिक सेवा के युवा पदाधिकारियों की बीमारी एवं अन्य अप्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विगत कुछ वर्षों में क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों में अवसाद तथा तनाव बढ़ता जा रहा है। अप्रत्याशित कार्य बोझ, नियमित समय पर नियमानुसार सेवा लाभ नहीं मिलना तथा छोटी-छोटी गलतियों के लिए दण्डित करने की नीति इत्यादि ऐसी घटनाओं में वृद्धि के कारक साबित हो रहे हैं।

9) अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में आपूर्ति विभाग द्वारा इतनी बड़ी संख्या में केवल बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आरोप गठित करने के निर्णय पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करते हुए संबंधित प्राधिकार को इसे वापस लेने का निदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों द्वारा अब तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गयी है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक:-/ दिनांक-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार)